बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

राज्य योजना अंतर्गत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (2026-27)" के तहत

निःशुल्क बीज वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया

SOP



गन्ना अपनाएँ, समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएँ

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–16381 / 2026 2083/ई०गन्ना० पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,
गोपालगंज / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ /
गयाजी / दरभंगा / भोजपुर / मुजफ्फरपुर / जमुई / सहरसा / पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत "नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम" के तहत निःशुल्क बीज वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–287 स्वी० दिनांक–10.08.2026 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–449 स्वी0 / सी.सी. दिनांक–22.09.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत "नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम" के तहत निःशुल्क बीज वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया संलग्न की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अनुवर्ती संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधान के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथोक्त :

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–16381 / 2026 2083/ई०गन्ना० पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गयाजी / दरभंगा / भोजपुर / जमुई / मुजफ्फरपुर / सहरसा / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–16381 / 2026 2083/ई०गन्ना० पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल / सचिव, बिस्मा / संबंधित के०भी०के० / राज्य के कृषि विश्वविद्यालय / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / SIO, NIC, Patna / वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–16381/2026 2083/ई०गन्ना० पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/निदेशक, बिहार कृषि विश्वविघालय, सबौर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–16381/2026 2083/ई०गन्ना० पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

राज्य योजना अंतर्गत " नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (2026–27) " के तहत निःशुल्क बीज वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन :

(i) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय केन केयर पोर्टल https://ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। आवेदन में भूमि/खेत का विवरण, खेती का रकवा आदि से संबंधित वांछित विवरण अंकित किया जायेगा।

(ii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन एवं प्राधिकृत पर्यवेक्षक/प्रतिनियुक्त कर्मी के माध्यम से Ganna Soft मोबाइल ऐप के जरिए खेत का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन से पूर्व संबंधित कर्मी/पर्यवेक्षक को पोर्टल पर मैप/टैग करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) सत्यापन के क्रम में आवेदित खेत में रोपण हेतु भूमि की तैयारी, पूर्व में गन्ना की खेती की स्थिति, खेत की वास्तविक स्थिति, बुआई हेतु सत्र एवं संभावित पाक्षिक बुआई अवधि तथा आवेदन में अंकित एवं वास्तविक रकबे का मिलान किया जाएगा। वास्तविक रोपण योग्य रकबे का विवरण दर्ज किया जाएगा।

(iv) उक्त के साथ Ganna Soft App पर जी०पी०एस० युक्त फोटो दर्ज किया जायेगा। सत्यापन के बाद ही बीज आवंटन/आपूर्ति की अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

2. बीज आपूर्तिकर्ता का चयन एवं भौतिक सत्यापन :

(i) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजनांतर्गत निर्गत अनुदेश के अनुरूप गन्ना बीज आपूर्तिकर्ता का चयन किया जाएगा।

(ii) चयनित बीज का भौतिक सत्यापन मार्गदर्शिका में वर्णित सहायक निदेशक, ईख विकास एवं वैज्ञानिकों की समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

3. बीज की स्टॉकिंग एवं अनुबंध निष्पादन :

(i) समिति द्वारा भौतिक सत्यापन में गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए बीज उत्पादक के बीज की स्टॉकिंग संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा Cane Care Portal पर की जाएगी। स्टॉकिंग के दौरान बीज का प्रभेद, उपलब्ध मात्रा, बीज उत्पादक का नाम, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता विवरण सहित अन्य आवश्यक सूचना पोर्टल पर दर्ज की जाएँगी।

(ii) स्टॉकिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास एवं बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के मध्य निर्धारित प्रारूप में अनुबंध–पत्र निष्पादित किया जाएगा। अनुबंध–पत्र की एक प्रति संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखी जाएगी तथा एक प्रति बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। **अनुबंध–पत्र** का प्रारूप इस SOP के साथ संलग्न है।

4. बीज आवंटन, चालान निर्गमन एवं आपूर्ति :

(i) सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा पोर्टल पर बीज आवंटन किए जाने के उपरांत संबंधित किसान के नाम से बीज उठाव चालान (Seed Lifting Challan) / supply order निर्गत किया जाएगा। चालान निर्गत होने की सूचना संबंधित किसान को SMS के माध्यम से प्राप्त होगा तथा इसकी प्रति केन केयर पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा। साथ ही इसकी प्रति गन्ना सॉफ्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से संबंधित बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता को भी उपलब्ध होगी।

(ii) गन्ना सॉफ्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता, पोर्टल पर स्टॉक की गई बीज की कुल मात्रा एवं उसमें से आवंटित शेष मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध होगी कि किस प्रभेद का कितना बीज किस किसान को आपूर्ति किया जाना है। तदनुसार बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित किसान को आवंटित मात्रा में बीज की आपूर्ति की जाएगी।

5. बीज का परिवहन एवं तौल की प्रक्रिया :

(i) बीज आपूर्तिकर्ता से आवेदक किसान तक बीज परिवहन की जिम्मेदारी संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास की होगी।

(iii) परिवहनकर्ता कार्यालय द्वारा निर्गत चालान/वितरण आदेश के अनुरूप बीज उत्पादक से संपर्क कर उनके खेत से गन्ना बीज की कटाई, बंधाई एवं लदाई का कार्य कराएंगे।
संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी का दायित्व होगा कि अपनी देख रेख में बीज का उठाव ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) बीज उत्पादक से उठाव किए गए बीज का तौल बीज की मात्रा के अनुसार उठाव स्थल/निकटवर्ती धर्मकाँटा पर कराना अनिवार्य होगा। उठाव स्थल पर तौल की व्यवस्था संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। उठाव स्थल पर तौल की स्थिति में फोटोग्राफ एवं धर्मकाँटा पर तौल की स्थिति में वजन पर्ची परिवहनकर्ता एवं प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा संधारित की जाएगी।

(v) लाभुकों की संख्या, बीज की मात्रा एवं आपूर्ति स्थलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परिवहनकर्ता द्वारा ट्रॉली/वाहन की निर्धारित क्षमता के अनुरूप यथासंभव एक वाहन से एक किसान अथवा एक ही निकटवर्ती क्षेत्र के एक से अधिक किसानों को आपूर्ति हेतु गन्ना बीज का परिवहन किया जाएगा।

(vi) बीज लोड करने से पूर्व खाली वाहन/ट्रॉली का टेयर वेट (खाली वाहन का वजन) धर्मकाँटा पर मापना अनिवार्य होगा एवं इससे संबंधित पर्ची जिसपर वाहन संख्या अंकित हो, उसे संधारित किया जायेगा। बीज की वास्तविक मात्रा की गणना कुल वजन (बीज सहित वाहन का वजन) में से टेयर वेट घटाकर की जाएगी।

(vii) प्रतिनियुक्त कर्मी सभी गतिविधियों, यथा गन्ना बीज की तौल एवं बीज की सुरक्षा आदि, से संबंधित जी०पी०एस०युक्त फोटो कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे तथा उसकी एक प्रति अपने पास भी संधारित रखेंगे।

(viii) बीज उठाव के उपरांत बीज उत्पादक द्वारा कार्यालय से निर्गत विहित "प्रपत्र–क" में बीज उठाव से संबंधित विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रपत्र पर परिवहनकर्ता, प्रतिनियुक्त कर्मी एवं बीज उत्पादक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

(ix) निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप गन्ना बीज को सुरक्षित रूप से तथा अधिकतम समय–सीमा (12 घंटे) के भीतर परिवहन कराना परिवहनकर्ता का पूर्ण दायित्व होगा।

(x) परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गन्ना बीज ले जाने वाला वाहन लाभुक किसान के निर्धारित स्थल तक पहुँचे।

6. गन्ना बीज की आपूर्ति, तौल एवं वितरण की प्रक्रिया :

(i) आपूर्ति स्थल पर प्रतिनियुक्त कर्मी एवं परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि लाभुक किसान को निर्गत चालान में अंकित बीज की मात्रा के अनुरूप सही तौल के साथ बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

(ii) आपूर्ति स्थल/अंतिम बिंदु पर लाभुक किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुरूप बीज की आपूर्ति करते समय तौल किया जाएगा। तौल हेतु मशीन की व्यवस्था संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा कराई जाएगी।

(iii) उठाव एवं आपूर्ति स्थल पर किए गए तौल में अंतर पाए जाने की स्थिति में आपूर्ति स्थल पर किया गया वजन ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर बीज आपूर्तिकर्ता को देय राशि का निर्धारण किया जाएगा।

(iv) बीज की आपूर्ति के उपरांत प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा लाभुक किसान से बीज प्राप्ति संबंधी "प्रपत्र–ख" भरवाया जाएगा। इस प्रपत्र पर परिवहनकर्ता, लाभुक किसान एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। बीज आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया से संबंधित जी०पी०एस०युक्त फोटो संकलित करना अनिवार्य होगा।

(v) आपूर्ति किए गए बीज को 02 (दो) दिनों के भीतर प्रस्तावित रकबे के अनुरूप अपने खेत में रोपित करना लाभुक किसान का दायित्व होगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास अपने स्तर से निर्धारित अवधि में बीज रोपाई कराना सुनिश्चित करायेगें।

(vi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा उक्त अवधि में बीज बुआई कार्य का भौतिक सत्यापन अपने क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से गन्ना सॉफ्ट मोबाइल एप के जरिये रोपण के उपरांत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

ईखायुक्त, बिहार।

प्रपत्र-क

नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

जिला		उठाव की तिथि	
सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय		चालान संख्या/तिथि	
बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता का नाम		मोबाइल नं०	
बीज उठाव स्थल/ग्राम		वाहन संख्या	
परिवहनकर्ता का नाम/मोबाइल नं०		प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम/पदनाम	

1. बीज उठाव एवं तौल का विवरण

क्र० सं०	बीज का प्रभेद	आवंटित मात्रा (क्विंटल)	खाली वाहन का वजन (टेयर वेट) (क्विंटल)	बीज सहित कुल वजन (क्विंटल)	वास्तविक बीज वजन (क्विंटल)
1					
2					
3					

2. घोषणा एवं संयुक्त प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त विवरण के अनुसार बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के खेत/स्टॉक स्थल से गन्ना बीज का उठाव कराया गया है तथा अंकित बीज की मात्रा एवं तौल का विवरण हमारी उपस्थिति एवं जानकारी में सही है।

बीज उत्पादक/आपूर्तिकर्ता	परिवहनकर्ता	प्रतिनियुक्त कर्मी
हस्ताक्षर: _____	हस्ताक्षर: _____	हस्ताक्षर: _____
नाम: _____ दिनांक: _____	नाम: _____ दिनांक: _____	नाम: _____ दिनांक: _____

प्रपत्र-ख

नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

जिला		प्रखंड	
लाभुक किसान का नाम		मोबाइल नं०	
पिता/पति का नाम		ग्राम/पंचायत	
बीज उठाव चालान संख्या/तिथि		आपूर्ति की तिथि	
रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (एकड़)		वाहन/ट्रॉली संख्या	

1. प्राप्त गन्ना बीज का विवरण

क्र० सं०	बीज का प्रभेद	चालान में अंकित मात्रा (क्विंटल)	वास्तव में प्राप्त मात्रा (क्विंटल)	अंतर/टिप्पणी
1				
2				
3				

2. लाभुक किसान की घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण के अनुसार मुझे निर्गत चालान में अंकित प्रभेद एवं मात्रा के अनुरूप गन्ना बीज प्राप्त हुआ है। प्राप्त बीज को 02 (दो) दिनों के भीतर प्रस्तावित रकबे के अनुरूप अपने खेत में रोपित करने की जिम्मेदारी मेरी होगी।

यदि चालान में अंकित मात्रा एवं वास्तव में प्राप्त मात्रा में कोई अंतर हो, तो उसका विवरण उपर्युक्त तालिका में अंकित किया गया है।

लाभुक किसान	परिवहनकर्ता	प्रतिनियुक्त कर्मी
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: _____	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: _____	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: _____
नाम: _____ दिनांक: _____	नाम: _____ दिनांक: _____	नाम: _____ दिनांक: _____

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

" नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (Cane Area Expansion Scheme) 2026-27 "

गन्ना बीज आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र

बीज आपूर्तिकर्ता का नाम		सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत संख्या	
ग्राम, पंचायत, प्रखंड, जिला (बिहार)		मोबाइल नंबर	
गन्ना फसल का आच्छादित क्षेत्रफल (एकड़ में)		बीज का प्रभेद (विभाग द्वारा अनुशंसित)	
बीज की अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)		संबद्ध कार्यालय (सहायक निदेशक, ईख विकास)	
गन्ना ID		बैंक खाता संख्या एवं IFSC	

बीज आपूर्तिकर्ता के दायित्व एवं घोषणा

मैं, निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता/करती हूँ—

1. मैं इस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा अनुशंसित प्रभेद के अंतर्गत अपने खेत में उत्पादित एवं सत्यापित गन्ना फसल को बीज के रूप में विभाग द्वारा आवंटित कृषकों को शरदकालीन (अक्टूबर–नवंबर) एवं/या बसंतकालीन (फरवरी–मार्च) रोपण अवधि में आपूर्ति करने हेतु सहमत हूँ।
2. गुणवत्तायुक्त बीज (8 से 10 माह आयु, रोग-मुक्त, शुद्ध प्रभेद, TL Seed मानकों के अनुरूप) की आपूर्ति योजना की मार्गदर्शिका में निर्धारित समस्त मापदंडों एवं समय-सीमा के अनुरूप करूँगा/करूँगी; बीज की आपूर्ति कटाई के 24-48 घंटे के भीतर करूँगा/करूँगी।
3. Cane Area Expansion Scheme के अंतर्गत स्टॉक किए गए बीज का उपयोग केवल गन्ना क्षेत्र विस्तार हेतु होगा। **उक्त बीज को किसी भी परिस्थिति में पेराई हेतु चीनी मिल, क्रशर, कोल्हू, गुड़ इकाई अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं कराऊँगा/कराऊँगी।** आवंटित आपूर्ति पूर्ण होने के बाद ही शेष गन्ना अन्य प्रयोजन में उपयोग करूँगा/करूँगी।
4. CCS पोर्टल पर अंकित बीज की स्टॉकिंग मात्रा एवं आपूर्ति संबंधी विवरण वास्तविक उपलब्धता एवं आपूर्ति के अनुरूप रखूँगा/रखूँगी; स्टॉक एवं आपूर्ति के अभिलेखों का संधारण कर सत्यापन के समय प्रस्तुत करूँगा/करूँगी तथा विभागीय निरीक्षण की अनुमति दूँगा/दूँगी।
5. बाढ़, जलजमाव, रोग या अन्य कारण से फसल क्षति अथवा बीज अनुपलब्ध होने की सूचना 7 दिनों के भीतर कार्यालय को दूँगा/दूँगी।
6. बीज की गुणवत्ता या मात्रा में कमी, अनुपयुक्तता, गलत विवरण अथवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में योजना के दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई हेतु मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

सहायक निदेशक (ईख विकास) के दायित्व

मैं, अधोहस्ताक्षरी, निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता/करती हूँ—

1. मेरे द्वारा सत्यापित गन्ना बीज योजना के दिशा-निर्देश में निर्धारित मानकों एवं मापदंडों के अनुरूप है तथा उसका भौतिक सत्यापन निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
2. सत्यापित TL Seed से संबंधित अभिलेखों का संधारण मेरे द्वारा किया गया है तथा अभिलेखों में अंकित विवरण सत्यापन के अनुरूप हैं।

3. बीज आपूर्तिकर्ता के सभी विवरण CCS पोर्टल पर सही-सही अंकित किए गए हैं तथा अंकित स्टॉकिंग मात्रा वास्तविक रूप से उपलब्ध एवं भौतिक सत्यापन में पाई गई मात्रा के अनुरूप है।
4. आपूर्तिकर्ता के साथ समन्वय कर आवंटित बीज की निर्धारित **समय-सीमा .....** में संबंधित कृषकों को आपूर्ति सुनिश्चित करूँगा/करूँगी; बीज आपूर्ति की सूचना SMS द्वारा दी जाएगी तथा बीज कम या अनुपयुक्त पाए जाने पर अन्य आपूर्तिकर्ता से व्यवस्था की जाएगी।
5. आपूर्ति अवधि में निरीक्षण तथा CCS पोर्टल पर स्टॉक बनाम आपूर्ति का साप्ताहिक मिलान करूँगा/करूँगी; अंतर पाए जाने पर विचलन की जाँच कर दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई करूँगा/करूँगी।
6. अप्रत्याशित कारणों (जैसे बाढ़, जलजमाव, कृषकों द्वारा बीज का उठाव न होना, आवंटित क्षेत्र में रोपण न होना अथवा रोपण अवधि समाप्त हो जाना) से सत्यापित गन्ना बीज के रूप में उपयोग न हो पाने की स्थिति में, उक्त शेष गन्ने के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ता को निकटतम चीनी मिल अथवा रस विक्रेताओं से समन्वय स्थापित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी। ऐसी मात्रा पर बीज आपूर्ति हेतु कोई भुगतान/अनुदान देय नहीं होगा तथा इसकी सूचना ईखायुक्त, बिहार को प्रतिवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
7. आपूर्ति पूर्ण होने पर CCS पोर्टल पर पुष्टि दर्ज कर आपूर्तिकर्ता को CFMS के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित कराऊँगा/कराऊँगी तथा प्रतिवेदन ईखायुक्त, बिहार को भेजूँगा/भेजूँगी।

सहमति एवं हस्ताक्षर

हमने उपर्युक्त शर्तें पढ़/सुन कर समझ ली हैं और अपने-अपने दायित्वों के पालन हेतु सहमत हैं।

बीज आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर

सहायक निदेशक (ईख विकास)
..... का हस्ताक्षर एवं मुहर